

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 453]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 नवम्बर 2020—कार्तिक 26, शक 1942

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2020

क्र. एफ 01-03-2020-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित उक्त अधिनियम के उपबंध कॉलम (1) में उल्लिखित स्थापनाओं पर कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुये लागू नहीं होंगे:—

अनुसूची

स्थापनायें (1)	अधिनियम के उपबंध जो लागू नहीं होंगे (2)	निबंधन तथा शर्तें (3)
मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) के अधीन रजिस्टर्ड समस्त दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाएं.	धारा-13	प्रत्येक कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश अनुज्ञात किया जाएगा.

ये निर्देश मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होंगे.

No. F-01-03-2020-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Shops and Establishment Act, 1958 (No. 25 of 1958), the State Government, hereby directs that the provisions of the said Act shown in column (2) of the Schedule given below shall not apply to establishments mentioned in column (1) of the said schedule subject to the terms and conditions specified in column (3) thereof:—

SCHEDULE

Establishments (1)	Provision of the Act which shall not apply (2)	Terms and Conditions (3)
All shops and Commercial Establishments registered under M. P. Shop and Establishment Act, 1958.	Section-13	Every employee shall be allowed a paid weekly holiday by the employer.

These directives shall come into force with effect from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छोटे सिंह, उपसचिव.